Date:- 26.11.2022

PRESS NOTE

प्रेस नोट(थाना कोतवाली शहर)

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा शामिक हत्याकाण्ड का अनावरण, 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त यश व उसका साथी रोहन अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार।

दिनांक 23.11.2022 को समय करीब 15:40 बजे थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा कॉलेज नूरपुर रोड पर 02 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा शामिक (18 वर्ष) पुत्र सरवर अली निवासी मोहल्ला पीर जादगान झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के सीने में गोली मार दी गई।जिससे शामिक उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 858/22 धारा 302/34 भादवि बनाम यश व 01 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा हत्या जैसी जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली शहर पुलिस को निर्देशित किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत अभियोग में नामजद अभियुक्त यश की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 25 हजार का ईनाम घोषित किया था। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.11.2022 की रात्रि समय करीब 01:10 बजे मुखबिर की सूचना पर झालू रोड कालीमाता मन्दिर के पास चेकिंग के दौरान 01 संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से घेराबंदी कर अभियुक्तगण 1. यश उर्फ उमंग पुत्र मुनेन्द्र सिंह निवासी मौ0 माहजनान कस्बा झालू, हल्दौर बिजनौर 2. रोहन उर्फ मोहन पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, हल्दौर, बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तंमचे 315 बोर मय 04 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 863/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्तगण से की गई पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त रोहन उपरोक्त भी कृष्णा कॉलेज में बी0फार्मा प्रथम वर्ष का छात्र है तथा शामिक भी इसी कॉलेज में बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष की पढाई कर रहा था। मृतक शामिक द्वारा रोहन की उसके दोस्तो(छात्राओं) के सामने बेईजत्ती की जाती थी, जिससे उसे काफी शर्मिन्दगी उठानी पडी। रोहन द्वारा कई बार इसके लिए मना किया था किन्तु शामिक नही माना उल्टा रोहन को ही डराता–धमकाता था। इससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त रोहन ने अपने साथी यश उर्फ उमंग के साथ मिलकर शामिक को मारने की योजना बनायी। दिनांक 23.11.2022 को योजनाबद्ध तरीके से शामिक को कॉलेज के बाहर निकलते ही उपरोक्त मोटरसाईकिल से यश व रोहन द्वारा शामिक को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. यश उर्फ उमंग पुत्र मुनेन्द्र सिंह निवासी मौ0 माहजनान कस्बा झालू, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. रोहन उर्फ मोहन पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 858/22 धारा 302/34 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 863/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण– घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर(अभियुक्त यश से बरामद), 01 अदद तमंचा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मो0साईकिल स्पलेण्डर प्लस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार वशिष्ठ, निरी0 श्री विरेन्द्र तोमर, उ0नि0 श्री मीर हसन, उ0नि0 श्री सुभाष धनकड, उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया, आरक्षी अरविन्द कुमार, आरक्षी निखिल, आरक्षी मंजीत व आरक्षी चालक विनीत कुमार थाना कोतवाली शहर ।

प्रभारी स्वाट / सर्विलांस टीम

थाना हल्दौरः-आज दिनांक 26/11/2022 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.प्रवेन्द्र पुत्र सूबे निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0स0-495/22 धारा-4/25 आयुध अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना नहटौरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना कोतवाली शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना धामपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना किरतपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला_हेल्प_डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।